वित्त उपलब्ध कराया जाएगा । बंजर भूमि के विकास के लिये भूमि और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का पता लगाने, परियोजनाओं को तैयार करने और वित्त-पोषण करने तथा राज्यों के भूमि सम्बन्धी कानूनों में आने वाली बाधाओं को दूर करने जैसी गतिविधियों सहित बंजर भूमि के विकास हेतु परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाएं शामिल होती है इसलिए इस अवस्था में सिंगल विन्डो एप्रोच को अपनाना संभव नहीं होगा ।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य में बंजर भूमि का पता लगाने के लिये अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के आधार पर राज्य में बंजर भूमि 7.83 मिलियन हैक्टेयर तक फैली हुई है जिसमें से 7.15 मिलियन हैक्टेयर गैर-वन क्षेत्र हैं । सरकार ने वनरोपण हेतु कई कार्यक्रम शुरु किए हैं जिनमें समेकित बंजर भूमि विकास, कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण जैसी योजनाएं शामिल हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या-16 के अंतर्गत वनरोपण तथा वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं । गुजरात में वनरोपण/वृक्षारोपण के माध्यम से बंजर भूमि के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1990–91 . . .	35.08
1991–92 . . .	58.20
1992–93 . . .	67.14

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन

3285. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग इस योजना से लाभान्वित हुए;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग और निम्न आय वर्ग के कितने लोगों को इस योजना के अधीन लाभ दिया गया;

(ङ) वर्ष 1992–93 के दौरान केन्द्र/राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(च) क्या इस योजना के अधीन आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) 1992–93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 662.22 करोड़ रुपये का आबंटन किया था ।

(ख) 1992–93 में योजना के अंतर्गत 20.68 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे ।

(ग) 1992–93 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को श्रेणी के कुल 1.11 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवल निम्न आय वाले समूहों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8500 रुपये की सीमा रेखा से कम है, को सहायता दी जाती है । 1992–93 में इस प्रकार सहायता प्राप्त कुल परिवारों में से 10.63 लाख परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के थे ।

(ङ) 1992–93 में कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय आबंटन 331.65 करोड़ रुपये और राज्य आबंटन 330.57 करोड़ रुपये था ।

(च) आबंटित की गई समस्त निधियों का पूर्णतः इस्तेमाल कर लिया गया था । इस्तेमाल की गई 693.07 करोड़ रुपये की राशि कुल आबंटन से अधिक थी ।

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि क्षेत्र

3286. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का कुल क्षेत्र कितना है तथा राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यमान बंजर भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कितने बंजर भूमि क्षेत्र को जोत योग्य किया जा सकता है और कितना क्षेत्र ऐसा है जहां कोई वनस्पति नहीं उगाई जा सकती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के कितने बंजर क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ है और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किए जाने की संभावना है;